कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

1998-99

निदेशालय
माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय उपयोग हेतु

राजस्थान सरकार

वार्षिक

विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन

1998-99

निदेशालय,

माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान-बीकानेर

NIEPA DC

D10823

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-10823
Date 29-05-2000.

-:प्राक्कथन:-

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान , बीकानेर द्वारा वर्ष 1998-99 का विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रकाशित किया जा रहा है । इस प्रतिवेदन में विभाग की समस्त प्रशासनिक व्यवस्था , शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति एवं विभाग की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है । केन्द्र सरकार की सहायता से भी राज्य मे शिक्षा के विकास हेतु माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा के अन्य क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएँ चलाई जा रही है । ऐसी समस्त योजनाओं की जानकारी भी इस प्रकाशन में दर्शाई गई है ।

आशा है विभगीय गतिविधियों का यह प्रतिवेदन शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षा योजनाकारों , शोधकर्ताओं , प्रशासकों एवं शिक्षा की प्रगति तथा शैक्षिक प्रशासन में अभिरुचि रखने वाले अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिये उपयोगी होगा । इसे और अधिक उपयोगी बनाने के लिए सुझावों का स्वागत है ।

बीकानेर
दिनॉक:-15.04.2000

* बी. एल. आर्य *
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रकाशन में सहयोगी सांख्यिकी अधिकारी/कर्मचारी

निर्देशन:-

श्री जे०के० सेठिया : उपनिदेशक (सांख्यिकी)

प्रारूप लेखन एवं सज्जा

(1) श्री गौरीशंकर व्यास : सांख्यिकी सहायक

(2) श्री सत्य प्रकाश शुक्ला : सांख्यिकी सहायक

(3) श्री मौह सिंह : सांख्यिकी सहायक

संगणन:-

(1) श्री उमेश कुमार साध : संगणक

अनुक्रमणिका

कहां क्या है :-		पृष्ठ संख्या
1.	सामान्य परिचय	01
2.	प्रशासनिक स्वरूप	01 से 03
3.	शैक्षिक प्रगति	03 से 04
4.	बालिका शिक्षा	05 से 06
5.	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	06 से 09
6.	शिक्षा के क्षेत्र में अन्य योजनाएं	09 से 11
7.	शारीरिक शिक्षा एवं तकनीकी प्रवृत्तियां	12
8.	आयोजना एवं प्रशासन	13 से 16
	8.1 आय व्यय	13
	8.2 वेतन स्थिरीकरण	13
	8.3 न्यायिक प्रकरण	13 से 14
	8.4 विभागीय जांच प्रकरण	14
	8.5 विभागीय चयन समिति	14
	8.6 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान	14
	8.7 हितकारी निधि	14
	8.8 छात्रवृत्तियां	15
	8.9 अनुदानित संस्थाएं	15 से 16
	8.10 शिक्षक दिवस समारोह	16
	8.11 शिक्षक सदन	16
9.	पुस्तकालय (समाज शिक्षा)	16 से 17
10	शिक्षक प्रशिक्षण	17
11.	शिक्षा विभागीय पत्रिकाएं	18
12.	विभागीय प्रकाशन	18
13.	विशिष्ट शैक्षिक अभिकरण	19
14.	शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित तालिकाएं	20 से 22

वार्षिक विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन 1998-99

राजस्थान की स्थापना रियासतों के विलीनीकरण के फलस्वरूप वर्ष 1949 में हुई। शिक्षा की सुव्यवस्थित संचालन के लिए वर्ष 1950 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, राजस्थान बीकानेर की स्थापना की गई। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए वर्ष 1997 में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का पृथक्-करण किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 28 नवम्बर 97 के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का अलग-अलग गठन किया गया। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पृथक विभागाध्यक्ष आई.ए.एस. बनाये गये एवं 1 जनवरी 1998 से निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन पृथक प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बीकानेर मुख्यालय पर कार्य प्रारंभ कर दिया।

निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा के अधीन राज्य की समस्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, के अधीन राज्य की समस्त माध्यमिक एवं उच्चमाध्यमिक विद्यालयों का नियंत्रण एवं प्रशासन है।

राजस्थान राज्य में आलोच्य वर्ष में कुल 32 जिले है, जिनमें 1991 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 4.40 करोड़ है। इनमें 2.304 करोड पुरूष एवं 2.096 करोड़ महिलाएं है। 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0.760 करोड़ एवं अनुसूचित जन जाति की जनसंख्या 0.547 करोड़ है। राज्यस्तर पर जनसंख्या घनत्व 129 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है।

1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की जनसंख्या में साक्षरता प्रतिशत 38.55 है, जिसमें पुरूषों का 54.99 एवं महिलाएँ 20.44 प्रतिशत है। 1991 की जनगणना अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 30.37 प्रतिशत है। जिसमें 47.64 प्रतिशत पुरूष एवं 11.59 प्रतिशत महिलाएँ है। राजस्थान के शहरी क्षेत्र में साक्षरता प्रतिशत कुल व्यक्ति 65.33 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष 78.50 प्रतिशत एवं महिलायें 50.24 प्रतिशत साक्षर है। राज्य में साक्षरता प्रतिशत 1951 से 1991 तक 4 गुणा से अधिक बढ़ा है।

(2) माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का प्रशासनिक स्वरूप

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के निदेशक पद पर वर्ष 97-98 में डा० बी. शेखर आई.ए.एस. कार्यरत रहे। श्री बी.एल. जैमन आई.ए.एस. दिनांक 5 सितम्बर 98 को निदेशक पद का कार्यभार सम्भाला एवं दिनांक 22.4.99 तक इस पर पर कार्यरत रहे।

....2

[क] निदेशालय

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय मुख्यालय पर वर्ष 98-99 में प्रशासनिक ढाँचा निम्नानुसार रहा -

1. निदेशक - आई. ए. एस.
2. मुख्यलेखाधिकारी [बजट]
3. अपर निदेशक [व्यावसायिक शिक्षा]
4. अतिरिक्त निदेशक [आर. ए. एस.] [सामान्य प्रशासन]
5. संयुक्त निदेशक-2 [आर्थिक एवं शिक्षक प्रशिक्षण]
6. उप निदेशक -8 [6-शिक्षा सेवा, 01-सांख्यिकी, 01-होलकूट]
7. जिला शिक्षा अधिकारी-2 [वरिष्ठ सम्पादक, अल्प भाषाई]
8. सहायक निदेशक-12
9. लेखाधिकारी-2 [बजट, प्लैनर]
10. वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी- 9
11. सहायक लेखाधिकारी- 7
12. सहायक विधि परामर्शदाता
13. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर

....3..

(ख) मण्डल स्तर

माध्यमिक शिक्षा के कार्य एवं प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने की दृष्टि से 6 मण्डल कार्यालयों का गठन किया गया है । ये हैं:- 1. बीकानेर (चूरू) 2. जोधपुर, 3. जयपुर, 4. अजमेर, 5. उदयपुर, 6. कोटा । इनके अधीनस्थ अपने परिक्षेत्र की समस्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक बालक, बालिकाएं शिक्षण संस्थाएं हैं ।

(ग) जिला स्तरीय प्रशासन

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अधीन मण्डल स्तर पर उप-निदेशक (माध्यमिक) तथा जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) है । राज्य में 40 जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय गठित किये गये हैं । जिन 8 जिलों में माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या अधिक है, उन जिलों में दो-दो जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) कार्यालय है । जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) अपने क्षेत्र की समस्त माध्यमिक, सीनियर माध्यमिक स्तर की बालक/बालिका विद्यालयों का नियंत्रण एवं प्रशासन की देख-रेख करते हैं । जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कुल 40 पद है, इनमेसे जिला अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, उदयपुर में दो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय के अलग-अलग संचालित है । शेष 24 जिलों में प्रत्येक में एक ही जिला शिक्षा-अधिकारी का कार्यालय संचालित है ।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का मुख्य कार्य जिले की अपने अधीनस्थ समस्त माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं से सम्पर्क बनाये रखना, निरीक्षण करना उनसे सूचनाएं एकत्रित कर आवश्यकता अनुसार राज्य सरकार, निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालयों को उपलब्ध कराना है। शैक्षिक संस्थानों पर प्रशासनिक नियंत्रण बनाये रखने का दायित्व जिलाशिक्षा-अधिकारी का ही है । इनके कार्य की मदद के लिये जिला मुख्यालय पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप जिला शिक्षा अधिकारी कार्यरत है।

(3) शैक्षिक प्रगति - माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक

राजस्थान में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात अथक सुनियोजित प्रयासों के परिणामों से शिक्षा और साक्षरता में काफी वृद्धि हुई है । राज्य की साक्षरता दर जो 1951 में 8.95 प्रतिशत थी बढ़कर 1991 में 38.55 प्रतिशत हो गई है । भारत वर्ष की साक्षरता प्रतिशत 52.21 है । 1955 की तुलना में माध्यमिकविद्यालयों की संख्या में 16 गुणा और सीनियर माध्यमिकविद्यालयों की संख्या में 61 गुणा वृद्धि हुई है ।

राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विकास एवं विस्तार किया है। राज्य में वर्ष 98-99 में सन्दर्भ तिथि 30.9.98 के आधार पर राजकीय एवं गैर राजकीय 3930 माध्यमिक विद्यालय तथा 1725 उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है। जिसमें क्रमशः 3494 छात्र एवं 436 छात्राओं के माध्यमिक विद्यालय| 1369 छात्र व 356 छात्राओं के उच्च माध्यमिक विद्यालय है। प्रबन्धानुसार 3099 राजकीय, 63 सहायता प्राप्त, 768 असहायता प्राप्त, माध्यमिक विद्यालय है, तथा इसी प्रकार 1310 राजकीय, 169 सहायता प्राप्त, 246 असहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालय है। माध्यमिक विद्यालयों में कुल अध्यापक 48879 है, इसमें 36698 पुरूष एवं 12181 महिलाऐं है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल अध्यापक 42942 कार्यरत है, उनमें से 30143 पुरूष एवं 12799 महिलाऐं है।

माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 1221744 में 846778 छात्र एवं 374966 छात्रा है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल नामांकन 1158533 में 796088 छात्र एवं 362445 छात्रा है।

आलोच्य वर्ष में माध्यमिक एवं सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में स्तरानुसार कक्षा 9 से 12 नामांकन उपलब्धि 11.156 लाख रहो। जिसमें से 8.166 लाख छात्र एवं 2.990 लाख छात्रायें है। अनुसूचित जाति का नामांकन कुल 1.262 लाख रहा, जिनमें 1.030 लाख छात्र एवं 0.232 लाख छात्रायें है। अनुसूचित जनजाति का कुल नामांकन 0.850 लाख है, जिनमें 0.719 लाख छात्र एवं 0.131 लाख छात्रायें है।

माध्यमिक शिक्षा का पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार किये जाने हेतु वर्ष 98-99 में सरकारी व गैर सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षा सत्र के चालु होने के साथ ही क्रमोन्नत किये जाने का प्रयास किया गया। अधिकारों के विकेन्द्रीकरण किये जाने के अन्तर्गत गैर सरकारी विद्यालयों को मान्यता दिये जाने के अधिकार अधिनस्थ जि. शि.अ. को दिये गये। वर्ष 98-99 में 181 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में तथा 85 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किया गया।

राजकीय क्रमोन्नत विद्यालय निम्नवत है:-

क्र.सं.	स्तर	प्रबन्ध	छात्र	छात्रा	योग
1.	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक	राजकीय	169	12	181
2.	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक	राजकीय	61	24	85
		योग	230	36	266

....5

§4§ बालिका शिक्षा

राज्य में विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा के विकास के निरन्तर प्रयास किये जा रहे है जिनके फलस्वरूप बालिका शिक्षा को अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है । सन् 1951 में राज्य का महिला साक्षरता प्रतिशत 3 था जो 1991 को जनगणना के अनुसार बढ़कर 20.44 प्रतिशत हो गया है । ग्रामीण क्षेत्रों का महिला साक्षरता प्रतिशत 11.59 है, जबकि शहरी क्षेत्र को महिला साक्षरता प्रतिशत 50.24 है ।

राजस्थान में 30 सितम्बर 1998 को सन्दर्भ तिथि को बालिका शिक्षा के कुल 436 माध्यमिक विद्यालय है , जिनमें राजकीय 359, सहायता प्राप्त 15 एवं असहायता प्राप्त 62 विद्यालय है । इसी प्रकार सन्दर्भ तिथि तक 356 बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय है, जिनमें से 261 राजकीय, 51 सहायता प्राप्त , 44 असहायता प्राप्त विद्यालय है । माध्यमिक विद्यालयों में कुल 12181 महिला अध्यापक है । उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल महिला अध्यापक 12799 है । राज्य में वर्ष 98-99 में बालिका नामांकन स्तरानुसार§कक्षा 9 से 12§ कुल 299030 रहा जिनमें से अनुसूचित जाति की छात्राओं का नामांकन 23223 एवं अनुसूचित जनजाति की छात्राओं का नामांकन 13096 है ।

बालिका शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु वर्ष 98-99 में 12 राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया एवं 24 राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालयों को बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया गया ।

राज्य में संचालित शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवापूर्व प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत सीटों का 40 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है । 7 महिला शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय केवल बालिकाओं केलिए संचालित है ।

शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में बी. एड. एवं शिक्षा शास्त्री हेतु स्वीकृत 5550 सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है । इसके अतिरिक्त 15 महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में 1870 सीटों पर केवल महिलाओं को प्रवेश दिया जाकर बी. एड. का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

राज्य की ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग ने सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50-50 की क्षमता के 6 बालिका छात्रावासों का निर्माण करवाया गया है ।

..6

जिले के ग्रामीण क्षेत्र की माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं, जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा दस की परीक्षा में मैरिट में प्रथम तीन स्थान पर रही है एवं जिनके अभिभावक आयकर नहीं देते हैं, उन्हें मेन्टोनेंशन अवार्ड छात्रवृति बालिका शिक्षा फाउन्डेशन के माध्यम से प्रारम्भ की गयी है । यह योजना प्रारम्भ में 10 प्रतिशत से न्यून ग्रामीण साक्षरता वाले 15 जिलों में प्रारम्भ की जावेगी, जिनमें प्रत्येक जिले के लगभग 20 बालिकाओं को लाभान्वित किया जावेगा । इस योजना में प्रति बालिका 10 माह हेतु 1000 रूपये दिये जाने का प्रावधान है ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 में कुल 75 प्रतिशत व अधिक प्राप्तांक वाली समस्त छात्राओं के लिये मार्गी पुरस्कार योजना ।

राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल के सौजन्य से राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में कक्षा 8 की समान परीक्षा योजना के अन्तर्गत प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश लेकर अध्ययन चालू रखने की स्थिति में कक्षा 9 व 10 में नियमित अध्ययन के लिये 1000 रूपये प्रति वर्ष की दर से दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की गई जिसके अन्तर्गत गत वर्ष कुल 1,95,000 रूपये की राशि नवीं कक्षा में अध्ययनरत 267 छात्राओं को वितरित की गयी ।

§5§ <u>केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं</u>

1. ग्रामीण क्षेत्र के माध्यमिक स्तर के प्रतिभावान विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय छात्रवृति –

इस योजना के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध करायें जाने के क्रम में ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययन कर रहे प्रतिभावान

.....7....

विधार्थियों का जिला स्तर पर परीक्षा योजना के पश्चात चयन किया जाता है । वर्ष 98-99 में इस योजना पर 0.56 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया ।

2. अंग्रेजी शिक्षा उन्नयन योजना

राज्य में अंग्रेजी शिक्षण के उन्नयन हेतु राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर द्वारा यूनीसेफ से सहायता की यह योजना चलाई जाती है । इस योजना हेतु 88 कार्य 97-98 तक आयोजित किये गये जिसमें 1406 व्यक्ति लाभान्वित हुए । यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र बजट से चलाई जाती है । वर्ष 98-99 में इस योजना पर कुल व्यय 1.76 लाख किया गया ।

3. संस्कृत छात्रवृति

संस्कृत विषय के अध्ययन के प्रति छात्रों का रूझान बढ़ाने हेतु कक्षा 9-12 तक के छात्रों को संस्कृत छात्रवृतियां प्रदान की जाती है । छात्रों का चयन वरियता के आधार पर किया जाता है । भारत सरकार से इस योजना में प्रतिवर्ष 72 हजार रुपये प्राप्त होते है । राशि का आवंटन जिला शिक्षा अधिकारियों को किया जाता है । 200 छात्रों को केन्द्रीय सहायता में तथा 200 छात्रों को राज्य सरकार के आयोजना भिन्न मद में राशि उपलब्ध करवाई जाती है ।

4. व्यावसायिक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत राजस्थान राज्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना व्यावसायिक शिक्षा 87-88 से 10 जमा दो स्तर पर प्रारंभ की गई । शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाकर मानव शक्ति का उपयोग मांग एवं पूर्ति में संतुलन बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है ।

वर्तमान में 17 पाठ्यक्रमों के साथ 156 सीनियर माध्यमिक विधालयों में यह योजना चल रही है । §लड़कों के 123 तथा 33 लड़कियों के विधालय§

व्यावसायिक शिक्षा में वर्ष 98-99 में कुल नामांकन 6011 रहा जिसमें से 4379 बालक एवं 1632 बालिकायें है । छात्रों को उच्च शिक्षा पर व्यावसायिक शिक्षा सुविधा उपलब्ध न होने एवं रोजगार के साधन उपलब्ध न होने के कारण छात्रों का प्रवेश विगत वर्षों में कम होता गया । वर्ष 99-2000 में राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा पूर्णतया बन्द करने का निर्णय लिये जाने के कारण वर्ष 98-99 में मात्र कक्षा 12 में ही यह योजना संचालित रही ।

...8

5. आई. ए. एस. ई./सी. टी. ई.

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत चार उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान है । इनमें दो राजकीय तथा दो गैर राजकीय है । राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान बीकानेर तथा अजमेर में संचालित है । दो गैर राजकीय आई. ए. एस. ई . विद्याभवन उच्च अध्ययन संस्थान उदयपुर एवं गांधी विद्या मन्दिर उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान सरदारशहर§चुरू§में संचालित है । 6 कॉलेज ऑफ टीचर एज्यूकेशन§सी. टी. ई.§क्रमशः- जोधपुर, डबोक, झुंझुनू, बांगड, सेंगरिया, भूसावर, में संचालित है । इस योजना के तहत वर्ष 98-99 में वित्तीय प्रावधान 153.96 लाख रूपये के विरूद्ध व्यय 107.48 लाख रूपये हुआ । वर्ष 98-99 में इन दस आई. ए. एस. ई. एवं सी. टी. ई. में कुल 1630 बीएड एवं 240 एम. एड. के प्रशिक्षणार्थियों की व्यवस्था की गई इसके अतिरिक्त अन्य शिक्षक प्रशिक्षण महा--विद्यालयों में 3920 बी. एड. के प्रशिक्षणार्थियों की व्यवस्था है ।

6. क्लास प्रोजेक्ट योजना

कम्प्यूटर शिक्षा को बढावा देने के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत "क्लास"प्रोजेक्ट नामक योजना वर्ष 93-94 में प्रारंभ की गयी । वर्ष 97-98 में 135 विद्यालयों को पी. सी. सिस्टमस कम्प्यूटर उपलब्ध करवाये गये तथा 235 विद्यालयों में सर्विस कान्ट्रेक्ट नवम्बर97 से अप्रेल 98 तक प्रचलित करवाये गये । वर्ष 98-99 में 6 माह के लिए सर्विस कान्ट्रेक्ट रहा । भारत सरकार ने अप्रेल 99 से यह योजना बन्द कर दी है । भविष्य में राज्य सरकार द्वारा क्लास प्रोजेक्ट के स्थान पर विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा योजना लागू करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । वर्ष 98-99 में इस योजना के लिए भारत सरकार से प्राप्त 118.77 लाख रूपये का प्रावधान पी. डी. खाते में जमाकराया गया ।

7. अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को प्रतिभा विकास योजना

यह योजना शतप्रतिशत भारत सरकार की सहायता के अन्तर्गत वर्ष 87-88 से चालू है । उच्च शिक्षा की आकांक्षा रखने वाले माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को प्रातः एवं सायंकालीन विशेष कक्षाएँ लगाई जाकर पांच विषयों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है । यह योजना राज्य के 3 विद्यालयों में संचालित है । इस योजना के तहत वर्ष 98-99 में 21.15 लाख रूपये प्रावधान के विरूद्ध 10.56 लाख रूपये वास्तविक व्यय किया गया । इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 98-99 में 88 अनुसूचित जाति के एवं 53 छात्र अनुसूचित जनजाति के एवं कुल 141 छात्र लाभान्वित हुए ।

..9

8. विज्ञान शिक्षण सुधार योजना

विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिवृद्धि को बढ़ावा देने तथा उनमें विज्ञान के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता से राज्य में वर्ष 87-88 से योजना चालू की गई। जिसका लक्ष्य योजनाबद्ध तरीके से 32 जिलों में प्रारंभ करना रखा गया। योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय विज्ञान मेला एवं सेमीनार भी लगाये जाते है। इस योजना के तहत वर्ष 98-99 में 0.04 लाख रूपये व्यय का प्रावधान रखा गया है।

9. पूर्व मैट्रिक अस्वच्छ कार्य छात्रवृति

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं अस्वच्छ कार्य में लगे परिवार के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति हेतु 10.00 लाख रूपये का प्रावधान वर्ष 98-99 में रखा गया। यह योजना पचास प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं पचास प्रतिशत राज्यसरकार के बजट व्यय से चलाई जाती है।

10. राष्ट्रीय सेवा योजना

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत 10 जमा दो स्तर के विद्यालयों में वर्ष 1989-90 से यह योजना आरंभ की गई। यह योजना वर्तमान में 380 सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में संचालित है। इस योजनान्तर्गत 10 दिवसीय विशेष शिविर एवं एक-एक दिवसीय तीन शिविर के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।। जिसके लिए क्रमशः 10 एवं 10.50 हजार रूपये को राशि आवंटित की जाती है। इस योजनान्तर्गत राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न सेवा कार्यक्रमों के माध्यम से संभागियों द्वारा यथा साक्षरता, पल्स पोलियो, स्वास्थ्य चेतना, महिला शिक्षा, दहेज, पर्दा-प्रथा, परिवार नियोजन, एड्स, वृक्षारोपण, सद्भावना रैली एवं रक्त दान व ड्रग उन्मुक्ति आदि क्षेत्रों से संबंधित जनता में जनजागरण एवं राष्ट्रीय चेतना पैदा की जाती है।

11. दसवां वित्त आयोग योजना

इस योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं की उच्च शिक्षा की दृष्टि से 25 जिला मुख्यालयों पर बालिका छात्रावासों का निर्माण कराने तथा विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से छात्र-छात्राओं हेतु पेयजल सुविधा व शौचालयों के निर्माण का निर्णय लिया गया एवं 97-98 से वित्तीय प्रावधान शुरु किया गया। जो 1999-2000 तक संचालित किया जाना है।

§6§ माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अन्य योजनाएं

1. सत्रांक योजना

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अर्द्धवार्षिक परीक्षा को महत्वपूर्ण बनाने के उद्देश्य से कक्षा 10 व 12 के लिए सत्र 95-96 से सत्रांक योजना लागू की गई। इस योजना के

तहत उक्त कक्षाओं के छात्रों को अर्द्ध वार्षिक परीक्षा में प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंक बोर्ड की परीक्षा में शामिल किये जाते है । उक्त योजना को वर्ष 98-99 में और अधिक प्रभावी बनाया गया, जिससे बोर्ड की परीक्षाओं में परीक्षा परिणाम के प्रतिशत में वृद्धि हुई है ।

2. श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम प्रोत्साहन योजना - राजकीय विद्यालयों में बोर्ड के परीक्षा परिणामों में उत्कृष्टता, प्रतियोगिता और गुणात्मक अभिवृद्धि हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 में राजकीय विद्यालय सम्मान योजना प्रारंभ की गई । जिसके अन्तर्गत प्रत्येक जिले में सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले एक-एक राजकीय माध्यमिक/उ.मा.वि. को 25-25 हजार रुपये पुरस्कार दिया जाता है । इसी प्रकार राज्य स्तरीय पर सैकण्डरी तथा सीनियर सैकण्डरी परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ परिणाम देनेवाले विद्यालय को 50-50 हजार रुपये पुरस्कार स्वरूप दिये जाते है । सत्र 98-99 में इस योजना हेतु 18.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया । दिनांक 12 जनवरी 1999को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया । इसके अन्तर्गत दो विद्यालयों को राज्य स्तर पर एवं 65 विद्यालयों को जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पुरस्कृत किया गया ।

3. प्रार्थना सभा - प्रार्थना सभा हेतु विभाग द्वारा नवीन निर्देश जारी किये गये जिनके अनुसार प्रार्थना सभा के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित किया गया इस अवधि में वन्देमातरम, प्रार्थना, देश भक्ति गान, प्रतिज्ञा एवं राष्ट्रगान को विशेष महत्व दिया गया ।

4. विद्यालय निरीक्षण - विद्यालयों के सुसंचालन एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने हेतु विद्यालयों का सतत मूल्यांकन एवं मार्गदर्शन आवश्यक है । इस हेतु विभाग द्वारा सत्र के आरंभ से ही सघन निरीक्षण के प्रयास किये गये जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए है । सत्र 98-99 में जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) मण्डल अधिकारी(माध्यमिक) द्वारा 3145 विद्यालयों का निरीक्षण का कार्य पूर्ण किया गया है ।

5. ग्रामशाह सम्मान योजना - विद्यालय के ग्रामशाह योजना विभाग द्वारा वर्ष 1991 में प्रारंभ की गई । इस योजनान्तर्गत दान दाताओं से शाला के विकास हेतु योगदान प्राप्त करना तथा शाला

.....11

परिवार से जुड़कर निर्माण हेतु अभिप्रेरित करना है। वर्ष 98 के दौरान 28 प्रेरकों के माध्यम से कुल 111 ग्रामशालाओं को सम्मानित किया गया। जिनसे 378 लाख रुपये का सहयोग प्राप्त हुआ। इन 111 ग्रामशालाओं को राज्यस्तर पर सम्मानित किया गया। इसी प्रकार मण्डल स्तर एवं जिला स्तर पर भी वर्ष 1998 में क्रमशः 83 एवं 28 ग्रामशालाओं को सम्मानित किया गया।

6. सहभागी विद्यालय मरम्मत योजना — राजकीय विद्यालयों में मरम्मत कार्य में जनसहभागिता को प्राप्त करने के उद्देश्य से जन-सहभागिता विद्यालय मरम्मत योजना वर्ष 96-97 से प्रारंभ की गई थी। जन सह-भागिता से अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के कारण इस योजना को संशोधन कर राज्य सरकार का वित्तीय अनुदान 70 तथा जन सहयोग का अंशदान 30 प्रतिशत कर योजना का नाम "विद्यालय भवन विकास योजना" रखा गया है। पूर्व में स्वीकृत राशि जो जिला ग्रामोद्योग विकास अभिकरण के निजी निक्षेप खाते में जमा है, को संशोधित वित्तीय पैटर्न अनुसार व्यय किया जा सकेगा।

7. बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन — इस योजनान्तर्गत कक्षा 9 व 11 में 70 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के लिये नवम्बर 98 से दिसम्बर 98 तक विशेष शिक्षण मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई। इसके साथ-साथ प्रत्येक विद्यालय से चयनित छात्र-छात्राओं के लिए शीतकालीन अवकाश के समय 7 दिवसीय जिलास्तरीय विशेष कोचिंग शिविर लगाये गये है।

8. गार्गी पुरस्कार योजना — माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 में कुल 75 प्रतिशत व इससे अधिक प्राप्त अंक वाली समस्त छात्राओं को 2 वर्ष तक कक्षा 11-12 में नियमित अध्ययन हेतु 1000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि देने की गार्गी पुरस्कार योजना सत्र 1997-98 से आरंभ की गई। इस वर्ष राज्य की 2853 छात्राओं को कुल 50.27 लाख रुपये की राशि का वितरण किया गया।

9. छात्र दुर्घटना सामुहिक बीमा योजना — राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए "विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना" नामक कल्याणकारी बीमा योजना 14 नवम्बर 1996 से प्रारंभ की गई। वर्ष 98-99 में 22.50 लाख रुपये बीमा विभाग को प्रीमियम के रूप में जमा कराये जा चुके है। बीमित छात्रों को दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 10 हजार रुपये का क्लेम देय है।

.....12

§7§ शारीरिक शिक्षा एवं सह-शैक्षिक प्रवृत्तियाँ

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिताएँ आयोजित होती है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता जिला शिक्षा अधिकारी §माध्यमिक§ के तत्वाधान में एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के तत्वाधान में आयोजित करवाई जाती है। राष्ट्रीय स्तरीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता मानद सचिव स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया चण्डीगढ़ द्वारा आयोजित करवाई जाती है, जिसमें राजस्थान की स्कूल टीम भी भाग लेती है।

44 वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में राज्य दल ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया एवं उपलब्धि हासिल की है:- 1. कुश्ती/जूडो/हॉकी 17 वर्ष में, दिनांक 22 दिसम्बर 98 से 26 दिसम्बर 98 तक दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य दल ने भाग लिया तथा 3 स्वर्ण, 7 रजत 3 कांस्य§जूडो में§ कुश्ती में§ 7 कांस्य । रजत§

2. जिमनास्टिक 19 वर्ष §छात्र-छात्रा§ ने सूरत में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य दल ने दिनांक 2 जनवरी 99 से 6 जनवरी 99 तक भाग लिया व छात्रा वर्ग में दो रजत पदक प्राप्त किये।

3. बास्केटबॉल, कबड्डी, हैण्डबाल 19 वर्ष§छात्र-छात्रा§ ने दिनांक 22 अक्टूबर 98 से 27 अक्टूबर 98 तक जालंधर§पंजाब§ में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य दल ने भाग लिया।

4. फुटबाल§छात्र§ एवं खो-खो§छात्र-छात्रा§ ने दिनांक 15 दिसम्बर 98 से 20 दिसम्बर 98 तक जबलपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य दल ने भाग लिया।

5. सी.के. नायडू क्रिकेट प्रतियोगिता जो कि जम्मू में दिनांक 28 दिसम्बर 98 से 2 जनवरी 99 तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया।

6. नेहरू हॉकी प्रतियोगिता छात्र 15 वर्ष दिनांक 31 अक्टूबर 98 से 13 नवम्बर 98 तक दिल्ली में आयोजित हुई जिसमें छात्रों ने भाग लिया।

वर्ष 98-99 में शारीरिक शिक्षा एवं सहशैक्षिक प्रवृत्तियाँ के अन्तर्गत सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, खेलकूद प्रतियोगिताएं, शैक्षिक भ्रमण, सुदूर क्षेत्रीय कार्यक्रम, योग शिक्षा, शिक्षक क्रीडा प्रतियोगिता, स्काउटिंग, गाइडिंग, एन.सी.सी. एवं राष्ट्रीय सेवा योजनाएँ कार्यरत है। वित्तीय वर्ष 98-99 में शारीरिक शिक्षा योजना में 8.07 लाख रुपये का व्यय किया गया।

8 आयोजना एवं प्रशासन

8.1 आय व्यय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर द्वारा वर्ष 98-99 में निर्धारित मदों के आधार पर स्वीकृत आय व्यय का विवरण इस प्रकार है:-

(राशि लाखों में)

वर्ष	बजट आवंटन	अतिरिक्त आवंटन (संशोधित बजट)	वास्तविक व्यय (राशि)
1998-99	101648.46	101892.62	102092.34

8.2 पेंशन स्थिरीकरण

विभाग में सत्र 98-99 में 2025 पेंशन प्रकरण में से 1434 पेंशन प्रकरण निपटाये गये तथा 591 प्रकरण शेष रहे। अब इन शेष प्रकरणों को निस्तारण के लिये विभाग द्वारा समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर निपटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

विभाग द्वारा सत्र 98-99 में नवीन वेतनमान लेने वाले लोक सेवकों के 85164 स्थिरीकरण किये गये। शेष स्थिरीकरण के प्रकरण, विभाग स्तर पर समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर मण्डल/जिला स्तर पर कार्य त्वरित गति से सम्पन्न करवाया जा रहा है।

8.3 न्यायालय प्रकरण

अधिकारियों, शिक्षकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकारों की मांग के लिए न्यायालय की शरण ली जाती है। न्यायालय के दायर वादों को निपटाने के लिये निदेशालय स्तर गठित विधि अनुभाग द्वारा राज्य सरकार की मदद से त्वरित गति से निपटाने की कार्यवाही की जाती है। वर्ष 98-99 में प्राप्त वाद एवं निपटाये गये वाद की स्थिति निम्न है:-

क्र. सं. न्यायालय का नाम	31 मार्च 98 के विचाराधीन प्रकरण	1 अप्रैल 98 से 31 मार्च 99 तक प्राप्त प्रकरण	1 अप्रैल 98 से 31 मार्च 99 तक निर्णित प्रकरण	31 मार्च 99 को विचाराधीन शेष प्रकरण
1. उच्च न्यायालय, जोधपुर	1207	332	365	1254
2. उच्च न्यायालय, जयपुर	1080	333	234	1987
3. राज. सिविल सेवा अपील अधिकरण	983	500	307	1184
4. राज. शैक्षिक अधिकरण (गैर सरकारी संस्थाएं)	581	416	469	535
5. अधीनस्थ न्यायालय	2099	191	22	2268
योग:-	6045	1700	1477	7140

..........14.....

निर्णीत प्रकरणों में से (गैर सरकारी संस्थाओं को छोड़कर) 772 प्रकरणों का (लगभग 77 प्रतिशत) निर्णय विभाग के पक्ष में रहे है ।

8.4 <u>विभागीय जांच प्रकरण</u> वर्ष 98-99 में जांच प्रकरणों के निस्तारण में लम्बित प्रकरणों को त्वरित गति से निपटाने की कार्यवाही की गई । निदेशालय में सीसीए 16 में 197 में से 23 प्रकरण, सीसीए 17 में 286 में से 48 प्रकरण तथा प्रारंभिक जांच में 556 प्रकरण में से 87 का निस्तारण किया गया । इसी प्रकार निलम्बन के 63 प्रकरणों में से 9 निलम्बन प्रकरण निपटाये गये ।

8.5 <u>विभागीय चयन समिति</u> विभाग ने डी.पी.सी. का एक समयबद्ध पंचाग बनाकर डी.पी.सी. आयोजित की जिसके आधार पर 206 उप प्रधानाचार्य सीमावि एवं समकक्ष, 135 प्रधानाचार्य सीमावि एवं समकक्ष, 85 संयुक्त निदेशक एवं समकक्ष, 01 अपर निदेशक एवं समकक्ष डी.पी.सी. द्वारा चयन किये । वर्ष 97-98 की डी.पी.सी. दिनांक 1 अगस्त 98 को आयोजित की गई ।

8.6. <u>राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान</u> इस योजना में शिक्षक के निधन पर रुपये 5000/-(शिक्षक के पुत्र/पुत्री के व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनार्थ अधिकतम 2000 /- रुपये प्रति वर्ष तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मान प्राप्त शिक्षक को भारत सरकार द्वारा भ्रमण सुविधा देने का प्रावधान है । वर्ष 98-99 में निम्न प्रकार से सहायता दी गई:-

निधन पर सहायता	22 प्रकरण	1,01000/-रुपये
अध्ययन पर सहायता	23 प्रकरण	54135/-रुपये

8.7. <u>हितकारी निधि</u> इस योजना का संचालन निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राज0बीकानेर द्वारा गठित समिति द्वारा निदेशक जी की अध्यक्षता में ही किया जाता है। राज्य कर्मचारियों से वार्षिक अंशदान दिसम्बर माह के वेतन से जिसका भुगतान जनवरी माह में किया जाता है, लिए जाने का प्रावधान है । प्राप्त राशि से ही राज्य कर्मचारियों के निधन पर उनके आश्रितों तथा स्वयं की बीमारी पर कर्मचारियों एवं परिवार के किसी सदस्य की गम्भीर बीमारी पर सहायता दी जाती है । प्राप्त अंशदान के आधार पर ही सहायता राशि में बढोतरी भी होती रहती है । इस योजना में कर्मचारी के निधन पर रुपये 5000/- तथा बीमारी पर 3000/- रुपये की सहायता दी जाती है । वर्ष 98-99 में निम्न प्रकार सहायता दी गई -

निधन पर सहायता	103 प्रकरण	468100 रुपये
बीमारी पर सहायता	31 प्रकरण	7165 रुपये

8.8. छात्रवृतियां - विभाग द्वारा वर्ष 98-99 में संचालित विभिन्न छात्रवृति योजनाओं का विवरण इस प्रकार से है:-

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति, विमुक्त एवं घुमन्तु जाति तथा अन्य पिछड़ी जाति(बोर्डर एरिया) के छात्रों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृति ।

(2) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चोंको पूर्व मैट्रिक छात्रवृति ।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति के विधार्थियों को प्रदत्त उत्तर मैट्रिक छात्रवृति ।

(4) अत्यन्त निर्धनता छात्रवृति योजना ।

(5) मृत राज्य कर्मचारो के बच्चों को दो जाने वालो छात्रवृति

(6) भारत सरकार द्वारा दो जाने वालो संस्कृत छात्रवृति ।

(7) प्रतिभा विकास कार्यक्रम छात्रवृति योजना ।

(8) अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दो जाने वालो विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृति ।

(9) अध्यापकों के बच्चों को दो जाने वालो छात्रवृति योजना ।

(10) विज्ञान प्रतिभाखोज छात्रवृति योजना(छात्रों)

(11) ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान को दो जाने वालो राष्ट्रीय छात्रवृति ।

छात्रवृति को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 98-99 में व्यय राशि एवं लाभान्वित विधार्थियों का विवरण निम्नहै:-

छात्रवृति योजना का नाम	व्यय(लाखों में)	लाभान्वित को संख्या
1. अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	590.00	1.96 लाख
2. अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृति	438.00	1.34 लाख
3. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति(अनु.जा/जनजाति)	376.00	66049
4. अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को देय छात्रवृति	62.61	14760
5. ग्रामीण प्रतिभावान छात्रवृति	17.34	3896
6. पूर्व सैनिकों को प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृति ।	0.37	37

8.9. अनुदान प्राप्त संस्थान - अनुदान प्राप्त संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर उन संस्थाओं के अनुदान प्रतिशत के आधार पर वेतन भत्तों एवं अन्य कार्यालय व्यय की गणना के अनुसार बजट अनुमान में राशि प्रस्तावित की जाती है । वर्ष 98-99 में निम्नवत शिक्षण संस्थाएँ अनुदान प्राप्त करने वाली सूचि में सम्मिलित रहो:-

....16

क्र. सं.	संस्था	अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थाओं की संख्या		
		छात्र	छात्रा	योग
1.	सीनियर माध्यमिक विद्यालय	91	47	138
2.	माध्यमिक विद्यालय	71	35	106
3.	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	03	-	0003
4.	पुस्तकालय	55	02	57

8.10 शिक्षक दिवस समारोह — 5 सितम्बर 1998 को शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट भूमिका एवं विशिष्ठ सेवा के लिए पुरस्कृत कियागया। 48 शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इनमें से 12 अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयनित किया गया। पुरस्कृत होने वाले प्रत्येक शिक्षक को वर्तमान में 5001 रुपये की राशि, शॉल, एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

8.11 शिक्षक सदन — शिक्षक सदनों का बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, एवं जोधपुर में निर्माण पूर्ण हो चुका है। अजमेर व कोटा में शिक्षक सदनों के निर्माण हेतु 7.7 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

[9] पुस्तकालय [समाज शिक्षा]

राज्य में वर्ष 98-99 में 44 सार्वजनिक पुस्तकालय संचालित है, इसमें मण्डल पुस्तकालय-6, जिला पुस्तकालय 28, तहसील पुस्तकालय 10 है। ये सभी पुस्तकालय समाज शिक्षा के अधीन है। राज्य के तीन जिलों (जयपुर, बीकानेर, जोधपुर) में क्रमशः-दस एक व दो वाचनालय समाज शिक्षा के तहत संचालित है। इन पुस्तकालयों/वाचनालयों में सन्दर्भ ग्रंथ हस्तलिखित पाण्डुलिपियां तथा प्राचीन एवं दुर्लभ ग्रन्थ है।

इसके अतिरिक्त पत्र-पत्रिकाएं व समाचार पत्र उपलब्ध है। रोजगार पत्र पत्रिकाएं राज्य के पुस्तकालयों में उपलब्ध रहती है। वर्ष 98-99 के दौरान राज्य के पुस्तकालयों में 12.50 लाख पुस्तकों को 21.00 लाख पाठकों द्वारा उपयोग किया गया इसके स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़कर 20.15 लाख हो गई।

....17

राजस्थान राज्य पुस्तकालय विकास समिति को राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों के संसाधनों के विकास हेतु 21.44 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई। पुस्तकालय विकास समिति को तहसील स्तर पर पुस्तकालयों में पंजीयन कराने के लिए द्वारा 44 राजकीय पुस्तकालयों के कुल राशि 1.32 लाख रुपये स्वीकृत कीगई।

§10§ शिक्षक प्रशिक्षण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षक प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिये विशेष बल दिया गया है। राज्य में कुल 43 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जिनमें 16 महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है। इनमें 5550 प्रशिक्षणार्थियों को बी.एड. शिक्षा शास्त्री विषय में एवं 240 प्रशिक्षणार्थियों को एम.एड. में सीटें आवंटित है। इसमें प्रशिक्षण अवधि एक शिक्षा सत्र होती है। साथ ही 300 अनुसूचित जाति तथा 180 अनुसूचित जनजाति छात्र/छात्राओं हेतु विशेष आवंटन व्यवस्था है, जो कुल सीटों में सम्मिलित है। प्रत्येक सामान्य शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 20 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है।

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राज्य में 4 उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान तथा 6 सी.टी.ई. संस्थाएँ कार्यरत है, इसमें 240 एम.एड. व 1630 बी.एड. की सीटें आवंटित है। उक्त संस्थाओं में सेवारत अध्यापकों एवं नवनियुक्त प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों के भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है।

राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 98-99 में 27 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान, 8 राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय तथा 11 गैर राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय कुल 46 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएँ संचालित रही है। उक्त में 8 महिलाओं के शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय है। इन सभी में 2254 छात्र एवं 1491 छात्रा कुल 3745 सीटें आवंटित है। उक्त आवंटन में अनुसूचित जाति को 650 तथा अनुसूचित जनजाति को 350 सीटें§विशेष बैच§ भी सम्मिलित है। उक्त संस्थाओं में सेवा पूर्व प्रशिक्षण दो वर्ष की अवधि का दिया जाता है।

....18

(11) शिक्षा विभागीय परीक्षायें — निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्वतंत्र रूप से पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षायें कार्य कर रहा है। प्रतिवर्ष विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की वर्ष में दो बार (मुख्य व पूरक) परीक्षाएं आयोजित की जाती है। प्रशिक्षण में प्रवेश पश्चात परीक्षा आवेदन पत्र भरने से लेकर परिणाम घोषणा एवं अंकतालिका व प्रमाण पत्र वितरण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 98-99 में शिक्षण प्रशिक्षण प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, शारीरिक शिक्षा, प्रमाण पत्र, संगीत भूषण, संगीत प्रभाकर, प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षायें आयोजित की गई। राज्य में पहली बार शिक्षक प्रशिक्षण प्रवेश पूर्व परीक्षा (प्री. एस.टी.सी.) का आयोजन सत्र 98-99 में किया गया। कुल 92350 आशार्थी प्रवेश पूर्व परीक्षा में उपस्थित हुए। राज्य के विभिन्न जिलों में कुल 303 परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण कर वर्ष 98-99 की कुल 3745 सीटों पर प्रवेश वरीयता क्रम से भावी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में दिया गया।

(12) विभागीय प्रकाशन — माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के प्रकाशन विभाग की ओर से सम्पूर्ण शिक्षा जगत को जानकारी देने एवं शिक्षा निर्णायक मुद्दों पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए प्रतिमाह शिविरा पत्रिका प्रकाशित की जाती है। शिविरा पत्रिका के प्रकाशन का यह 39 वां वर्ष है। शिविरा की राजस्थान के अलावा अन्य प्रदेशों में भी अपनी विशिष्ठ पहचान है। वर्तमान में इसकी प्रसार संख्या लगभग 34000 है।

नया शिक्षक/टीचर टुडे त्रैमासिक (हिन्दी-अंग्रेजी) पत्रिका ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी साख बनाई है। इसकी प्रसार संख्या लगभग 15000 है।

"शिक्षक दिवस प्रकाशन" के अन्तर्गत वर्ष 1998 में प्रकाशित पांच पुस्तकों का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शिक्षक दिवस 1998 को किया गया। इन पुस्तकों के लेखक विभाग के शिक्षक व कर्मचारी ही होते है। इस श्रृंखला में अब तक 166 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी है।

....19

(13) विशिष्ट शैक्षिक अभिकरण

शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए निम्नलिखित विशिष्ट अभिकरण भी कार्यरत है :-

1. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर
2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, अजमेर
3. राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल, जयपुर
4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर
5. संस्कृत शिक्षा निदेशालय, जयपुर
6. राजकीय सार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर
7. अकादमियां
8. भाषा विभाग, जयपुर

(14) शिक्षा की प्रगति से सम्बन्धित तालिकाएँ वर्ष 98-99

तालिका -1

राज्य में प्रबन्धानुसार शिक्षण संस्थाएँ (30. 9. 98)

प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय			वरि. माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	2740	359	3099	1049	261	1310
अनुदान प्राप्त	48	15	63	118	51	169
असहायता प्राप्त	706	62	768	202	44	246
योग	3494	436	3930	1369	356	1725

तालिका- 2

ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में शिक्षण संस्थाएं (30. 9. 98)

शाला का प्रकार	ग्रामीण	शहरी	योग
1. माध्यमिक विद्यालय	2987	943	3930
2. वरि. माध्यमिक विद्यालय	896	829	1725
योग	3883	1772	5655

तालिका- 3

शालावार प्रबन्धानुसार नामांकन (30. 9. 98)

शाला प्रबन्ध	माध्यमिक विद्यालय			वरि. माध्यमिक विद्यालय		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	593266	243044	836310	577630	225837	803467
सहायता प्राप्त	34345	14729	49074	90044	59550	149594
असहायताप्राप्त	219167	117193	336360	128414	77058	205472
योग	846778	374966	1221744	796088	362445	1158533

....21

तालिका-4

शालावार प्रबन्धानुसार अनुसूचित जाति नामांकन[30.9.98]

शालाप्रबन्ध		माध्यमिक विद्यालयमें			सी. माध्यमिकविद्यालयमें	
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	104052	31228	135280	88001	21201	109202
सहायता प्राप्त	3183	2452	5635	7054	3276	10330
असहायताप्राप्त	21699	10666	32365	8642	4273	12915
योग	128934	44346	173280	103697	28750	132447

तालिका- 5

शालावार प्रबन्धानुसार अनुसूचित जनजाति नामांकन[30.9.98]

शालाप्रबन्ध		माध्यमिकविद्यालय		सी. माध्यमिक विद्यालय में		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
राजकीय	61594	16790	78384	52432	9911	62343
सहायताप्राप्त	1011	609	1620	1820	1079	2899
असहायताप्राप्त	13129	4886	18015	8225	2139	10364
योग	75734	22285	98019	62477	13129	75606

तालिका-6

कुल अध्यापक शाला अनुसार प्रबन्धानुसार[30.9.98]

शाला प्रबन्ध		शाला माध्यमिक में		सी. मा. विद्यालय		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
राजकीय	29425	7171	36596	24646	7654	32300
सहायताप्राप्त	473	450	923	2310	1900	4210
असहायताप्राप्त	6800	4560	11360	3187	3245	6432
योग	36698	12181	48879	30143	12799	42942

तालिका-7

शालानुसार कुल अध्यापक, अनुसूचितजाति एवं अनु. जनजाति अध्यापक
[30.9.98]

विद्यालय	कुल अध्यापक			अनु. जाति			जनजाति अध्यापक		
	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
माध्यमिक	36698	12181	48879	4334	490	4824	1940	122	2062
सी. माध्य.	30143	12799	42942	2675	378	3053	1096	78	1174
योग	66841	24980	91821	7009	868	7877	3036	200	3236

तालिका-8

विद्यालयवार छात्र-अध्यापक अनुपात [वर्ष 98-99]

विद्यालय	मानदण्ड	वर्ष 98-99
माध्यमिक विद्यालय	20:1	25:1
सीनियर माध्यमिक विद्यालय	20:1	27:1

तालिका-9

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर परीक्षा परिणाम 1998-99

क्र. सं.	परीक्षा का नाम	प्रविष्ट	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण प्रतिशत
1.	माध्यमिक	439066	201193	45:82
2.	सीनियर माध्यमिक	256250	131060	51:15
3.	सीनियर माध्यमिक (व्यावसायिक शिक्षा)	6631	3575	53:91

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No. D-10823
Date 28-08-2000
NIEPA DC
D10823